हिन्दुस्तान • मुजफ्फरपुर • सोमवार • 02 फरवरी 2015

16 करोड़ दबाकर बैठे लाभुकों पर होगी कार्रवाई

बाराचकिया | निज संवाददाता

चकिया प्रखंड क्षेत्र के 18 पंचायतों में वित्तीय वर्ष 08-09 से 13-14 में 4718 लाभुकों ने इंदिरा आवास योजना से करीब 16 करोड़ रुपये प्रखंड कार्यालय से प्राप्त करने के बावजूद घर नहीं बनाया है। आवास निर्माण को लेकर प्रथम किस्त की राशि का उठाव करने के बाद भी निर्माण कार्य नहीं करने वालों से प्रशासन ने राशि वापसी को लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

प्रशासन राशि वापस नहीं करने वाले लाभुकों के विरूद्ध सर्टिफिकेट वाद दायर करने की तैयारी कर रही है। लाभुकों से राशि वापस करने को लेकर नोटिस दिया गया है। आवास निर्माण नहीं करने या राशि वापस नहीं वापस करने वाले लाभुकों के खिलाफ स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज करायी जायेगी। बीडीओ गंगासागर सिंह ने रविवार को बताया कि प्रखंड क्षेत्र के हरपुर पंचायत के 167, कुंअरपुर पंचायत के 461, रामगढ महुआवा के 321, चिन्तामनपुर के 297, भेरखिया के 198, बरमदिया के 227, कुंअवा के 136, कुडिया के 220, वैशाहां के 76, चकिया के 201, चकबारा के 224, वेदिवन मधुबन के 147, मधुरापुर के 275, महुआवा के 229, विशुनपुरा के 184, हरदियाबाद के 402, सागर के 501 व जमुनिया के 488 लाभुकों से राशि वापसी की कार्रवाई शुरू की गयी है। प्रखंड क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2008-09 में 269 लाभुकों को 64 लाख 54 हजार, वित्तीय वर्ष 2009-10 में 1104 को दो करोड़ चौसठ लाख छियानवे हजार, वित्तीय वर्ष 2010-11 में 599 को एक करोड़ तेतालिस लाख छिहतर हजार, वितीय वर्ष 2011-12 में 1071 को तीन करोड़ चौहतर लाख पचासी हजार, वितीय वर्ष 2012-13 में 1007 को तीन करोड़ बावन लाख पैंतालीस हजार व वितीय वर्ष 2013-14 में 698 को तीन करोड़ उन्चास लाख रुपये इंदिरा आवास निर्माण को लेकर प्रथम किस्त प्रखंड कार्यालय से भुगतान किया गया।

लाभुकों को चौबीस हजार से लेकर पचास हजार रुपये तक प्रथम किस्त के रूप में भुगतान किया गया है। प्रखंड क्षेत्र के वैशाहा में सबसे कम व सागर में सबसे अधिक लाभुक हैं। राशि उठाव के बावजूद भवन निर्माण कार्य नहीं करने वाले के खिलाफ प्रशासन के सख्त रवैये से ऐसे लाभुकों में हड़कम्प मच गया है। इधर एसडीओ चित्रगुप्त कुमार ने बताया कि अनुमंडल के केसरिया, मेहसी व कल्याणपुर बीडीओ को भी राशि उठाव करने के बाद भी निर्माण कार्य नहीं करने वालों की सूची बनाकर राशि वापसी की कार्रवाई करने के दिशा में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।